न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 108/2018

1 विद्याधर आयु 58 वर्ष पुत्र ज्ञानाराम
2 मीरसिह आयु 60 वर्ष पुत्र ज्ञानाराम
जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।?
3 विजय सिंह पुत्र स्व. सुमेर सिंह जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।

अपीलांट

बनाम

1 मृतका खजानी तथाकथित पुत्री गंगाराम स्त्री झाबरमल जाति जाट तथाकथित निवासी मनोहरपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू हाल निवासी मन्दौला तहसील चरखी दादरी भिवानी (हरियाणा) (दौराने अपील मृतक)
1/1 बसन्ती पुत्री झाबरमल
1/2 मिश्रो पुत्री झाबरमल
1/3 हरिसिंह पुत्र झाबरमल
1/4 कर्णसिंह पुत्र झाबरमल
1/5 शकुन्तला स्त्री पूर्णसिंह
1/6 सुरेन्द्र पुत्र पूर्णसिंह
1/7 नरेन्द्र पुत्र पूर्णसिंह
1/8 सुमन पुत्री पूर्णसिंह
1/9 सुशीला पुत्री पूर्णसिंह जाति जाट निवासी मन्दौला तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)।
2 दलकोर स्त्री स्व सुमेर सिंह
3 विजेन्द्र सिंह पुत्र स्व सुमेर सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4 रीता पुत्री स्व सुमेर सिंह
5 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू।
6 उप पंजीयक बुहाना जिला झुन्झुनू।
7 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा तहसील सुरजगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी खजानी बनाम सुमेर सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 260/2012 दावा घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

—निर्णय—

दिनांकः— 13.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 260/2012 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 25/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25/2 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25/3 रकबा 1.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24/4 रकबा 1.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25/5 रकबा 1.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25/6 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25/7 रकबा 0.60 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम मनोहरपुरा तहत तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 खजानी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणात्मक विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया। दौराने विचारण वाद पत्र दिनांक 16.04.2018 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने जरिये वकील वाद पत्र में विभजान की रिलिफ को विड्रा करने पर विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को दिनांक 22.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट धुलवा में डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष तथाकथित रूप से गंगाराम की पुत्री बनकर दावा में यह दर्ज किया कि गत खसरा नम्बर 25 रकबा 40 बीघा का खातेदार गंगाराम पुत्र तेजाराम था। दावा में यह भी लिखा कि खतौनी ग्राम मनोहरपुरा सन् 2032 में गत खसरा नम्बर 25 का खातेदार गंगाराम रहा है। दावा में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने लिखा कि गंगाराम की मृत्यु सन् 1936 में हो चुकी है। वादिया ने दावा में यह भी दर्ज किया कि खसरा नम्बर 25 से खसरा नम्बर 20 बने तथा खसरा नम्बर 20 से भु प्रबन्ध विभाग

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुंझुनूं)

की दुसरी कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 25 बने तथा बाद में खसरा नम्बर 25 का विभाजन होने पर उसके खसरा नम्बर 25/1 लगायत 25/7 बने। वादिया ने दावा में रिलिफ चाही की खसरा नम्बर 25/1 लगायत 25/7 से 4.93 हैक्टेयर की खातेदार काश्तकार घोषित होने की रिलिफ चाही। वादिया का तथाकथित पिता गंगाराम पुत्र तेजाराम गोत्र से मान गोत्र का था। जबकि खुबी पुत्र तुला व अपीलान्टस के पूर्वज सेडुराम चाहर गोत्र के है। हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 5.95 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 20 व 21 मीन से बनना साबित है। विभाजन होने पर हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 5.95 हैक्टेयर के बाद में खसरा नम्बर 25/1 लगायत 25/7 बने। तहसील बुहाना में सिर्फ एक ही बार सेटलमेन्ट हुआ है। गत खसरा नम्बर 25 से तथाकथित रूप से प्रथम सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 20 नहीं बना। गत खसरा नम्बर 25 से कोई खसरा नम्बर 20 बना हो ऐसा कोई मिलान क्षेत्रफल नहीं है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 25/1 लगायत 25/7 से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 खजानी देवी का कोई लेना देना नहीं है। खसरा नम्बर 25 से खसरा नम्बर 20 बना हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली के रिकार्ड पर नहीं है। गत खसरा नम्बर 21, 16 व 20 की जमाबन्दी सम्वत 2012 में सेडू के पुत्र लालचन्द, हरनारायण, देवीराम व ज्ञाना खातेदार काश्तकार हैं। खसरा नम्बर 21 व 20 की जमाबन्दी सम्वत 2015 में भी उक्तानुसार सेडुराम के पुत्र खातेदार काश्तकार है। आपसी सहुलियत से विभाजन होने पर जमाबन्दी सम्वत 2045 से 2048 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 5.95 हैक्टेयर ज्ञानाराम के हिस्से में आई है। ज्ञानाराम की मृत्यु होने पर उसके वारीसान के हिस्से में आई है तथा ज्ञानाराम के वारिसान खसरा नम्बर 25/1 लगायत 25/7 पर बाद विभाजन काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में तारीख पेशी दिनांक 22.05.2018 वास्ते बहस नियत थी। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना सुने निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित की है। पत्रावली राजस्व कैम्प धुलवा में सुनवाई बाबत अपीलान्टस को कोई नोटिस जारी नहीं किया। पत्रावली में दिनांक 22.05.2018 को कैम्प धुलवा में पक्षकारान के अभिभाषक की बहस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

सुनने का तथ्य गलत दर्ज किये है। जबकि वास्तविक रूप से अपीलान्टस के वकील साहब की कोई बहस नहीं सुनी गई। इस प्रकार आलौच्य निर्णय व डिक्री जैर बहस प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट को धारा 5 का लाभ देते हुए अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि ग्राम मनोहरपुरा में गंगाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट नाम का एक व्यक्ति हुआ था। जिसके एक पुत्री खजानी हुई थी। वादिया गंगाराम की पुत्री है जिसकी पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत धूलवा द्वारा जारी वारिश प्रमाण पत्र से होती है। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में डी.डब्ल्यू–1 से डी.डब्ल्यू–5 प्रस्तुत गवाहान ने परीक्षण के दौरान भी यह स्वीकार किया है कि वादिया स्व. गंगाराम की इकलौती संतान है। विवादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 25 रकबा 40 बीघा खतौनी संख्या 8 में गंगाराम वल्द तेजा जाट सा.देह ठिकाना खेतड़ी मिन इब्तेदाय सन् 1932 में दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–6। सैटलमेंट के दौरान गत खसरा नम्बर 25 से खसरा नम्बर 20 निर्मित हुआ तथा उसके बाद भू–प्रबन्धक विभाग की दूसरी कार्यवाही के दौरान गत खसरा नम्बर 20 से पुनः खसरा नम्बर 25 निर्मित कर दिये तथा भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हकपूर्वाधिकारी खुबी पुत्र तुला के विवादग्रस्त भूमि में 19 बीघा 12 बिश्वा भूमि दर्ज करदी गई जो गलत दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात विवादग्रस्त भूमि खुबी पुत्र तुला की मृत्यु पश्चात उक्त विवादग्रस्त भूमि ज्ञाना पुत्र सेडूराम कौम जाट सा.देह खातेदार दर्ज करदी गई। इसके बाद ज्ञानाराम की मृत्यु पश्चात जरिए इंतकाल संख्या 8 दिनांक 25.12.1990 को मु. मनभरी बेवा ज्ञानाराम सुमेर सिंह मीरसिंह विद्याधर पि. ज्ञानाराम दर्ज कर दी गई जो आज भी बदस्तूर जारी है। उक्त विवादग्रस्त भुमि गत खसरा नम्बर 25 स्व गंगाराम की खातेदारी में संवत 1932 में दर्ज थी लेकिन पैमाईश के दौरान सहवन से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व उनके पूर्वज के नाम रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार स्व. गंगाराम की मृत्यु पश्चात

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

उनकी वारिश एकमात्र इकलौती संतान वादिया के नाम दर्ज होनी चाहिए थी उक्त गलती भू पैमाईश के दौरान हुई है जिसका भू पैमाईश अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था जो दुरूस्ती योग्य है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद डिक्री किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील सारहीन है। खारिज कि जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 605 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष तथाकथित रूप से गंगाराम की पुत्री बनकर दावा में यह दर्ज किया कि गत खसरा नम्बर 25 रकबा 40 बीघा का खातेदार गंगाराम पुत्र तेजाराम था। दावा में यह भी लिखा कि खतौनी ग्राम मनोहरपुरा सन् 2032 में गत खसरा नम्बर 25 का खातेदार गंगाराम रहा है। दावा में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने लिखा कि गंगाराम की मृत्यु सन् 1936 में हो चुकी है। वादिया ने दावा में यह भी दर्ज किया कि खसरा नम्बर 25 से खसरा नम्बर 20 बने तथा खसरा नम्बर 20 से भु प्रबन्ध विभाग की दुसरी कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 25 बने तथा बाद में खसरा नम्बर 25 का विभाजन होने पर उसके खसरा नम्बर 25/1 लगायत 25/7 बने। वादिया ने दावा में रिलिफ चाही की खसरा नम्बर 25/1 लगायत 25/7 से 4.93 हैक्टेयर की खातेदार काश्तकार घोषित होने की रिलिफ चाही। हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 5.95 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 20 व 21 मीन से बनना साबित है। विभाजन होने पर हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 5.95 हैक्टेयर के बाद में खसरा नम्बर 25/1 लगायत 25/7 बने। तहसील बुहाना में सिर्फ एक ही बार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

सेटलमेन्ट हुआ है। गत खसरा नम्बर 25 से तथाकथित रूप से प्रथम सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 20 नहीं बना। गत खसरा नम्बर 25 से कोई खसरा नम्बर 20 बना हो ऐसा कोई मिलान क्षेत्रफल नहीं है। खसरा नम्बर 25 से खसरा नम्बर 20 बना हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली के रिकार्ड पर नहीं है। गत खसरा नम्बर 21, 16 व 20 की जमाबन्दी सम्वत 2012 में सेडू के पुत्र लालचन्द, हरनारायण, देवीराम व ज्ञाना खातेदार काश्तकार हैं। खसरा नम्बर 21 व 20 की जमाबन्दी सम्वत 2015 में भी उक्तानुसार सेडुराम के पुत्र खातेदार काश्तकार है। आपसी सहुलियत से विभाजन होने पर जमाबन्दी सम्वत 2045 से 2048 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 5.95 हैक्टेयर ज्ञानाराम के हिस्सें में आई है। ज्ञानाराम की मृत्यु होने पर उसके वारीसान के हिस्से में आई है तथा ज्ञानाराम के वारिसान खसरा नम्बर 25/1 लगायत 25/7 पर बाद विभाजन काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन एवं विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में तारीख पेशी दिनांक 22.05.2018 वास्ते बहस नियत थी। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना सुने विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की है। पत्रावली राजस्व कैम्प धुलवा में सुनवाई बाबत अपीलान्टस को कोई नोटिस जारी नहीं किया। पत्रावली में दिनांक 22.05.2018 को कैम्प धुलवा में अपीलांट व उसके अधिवक्ता को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर